न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(49)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0099 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 17/अपील/2015-16.

संजीव श्रीवास्तव उर्फ मधुकांत
आत्मज श्री जी.एस. श्रीवास्तव,
निवासी 70, अशोक विहार,
नगर निगम कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

भगवान सिंह आ. श्री किशोर सिंह
निवासी ग्राम बरहा, तहसील बरेली,
जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदक

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कोठरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा क्र. 97/2 रकबा 5.71 एकड़ दीनदयाल नाबालिग पुत्र जमाना प्रसाद संरक्षक दादा नवल किशोर निवासी कुण्डाली के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थी। नायब तहसीलदार, बम्हौरी द्वारा ग्राम कोठरी की नामांतरण पंजी क्रमांक 1 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 से विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2012 के आधार पर आवेदक श्री संजीव कुमार के नाम नामांतरण किया

गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 21/अ-6/13-14 दर्ज कर आदेश दिनांक 30.06.2015 से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत न मानते हुए विधि प्रक्रिया का पूर्ण पालन कर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार की ओर प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14.11.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त का आदेश विधि, प्रक्रिया और नियम के विपरीत होने से हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील स्वीकार की है तथा उनके समक्ष आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2015 निरस्त किया, किंतु आवेदक के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 भी निरस्त कर दिया गया है, जबकि विधि अनुसार एक आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के किसी एक ही आदेश को निरस्त किया जा सकता है। ऐसी दशा में आलोच्य आदेश हस्तक्षेप योग्य है।

(3) आदेश दिनांक 01.10.2012 आवेदक के पक्ष में है। उक्त आदेश को अपर आयुक्त के न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी। ऐसी दशा में उक्त आदेश के संबंध में पारित आलोच्य आदेश विधि विपरीत है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2012 को निरस्त किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत बने नियमों का बिना पालन किये नामांतरण आदेश पारित किया गया था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई। तर्क में यह भी कहा गया कि

प्रश्नाधीन भूमि उसके पूर्वाधिकारी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है। अत: प्रश्नाधीन भूमि पर उनका स्वत्व है, जिस पर बिना विचार किये नामांतरण आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है। अत: उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही न कर विक्रयपत्र अपने पास रखकर स्वत्व दर्शाया गया है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। यदि आवेदक को विक्रय की जानकारी थी तो वह द्वितीय विक्रय पत्र शून्य घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय में शरण ले सकता था। यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा109-110 के बने नियम 27 का पालन न किये जाना पाये जाने से प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि विधिसंगत नहीं है, क्योंकि वर्ष 2011 संशोधित म.प्र. भू-राजस्व संहिता में प्रकरण को प्रत्यावर्तित न कर अंतिमरूप से प्रकरण को निराकरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत न होने के कारण उन्हें निरस्त कर अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर